उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

अधिहरण वाद सं0–01/2016–17

शाहबान अंसारी वगैरह

बनाम्

झारखण्ड सरकार

–: आदेश :–

दिनांक 20.05.17

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा सहायक खनन पदाधिकारी, गोड्डा का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता शाहबान अंसारी, पे0–कलाम अंसारी, सा0–रामकोल, थाना–बोआरीजोर, जिला–गोड्डा वो अंसुर अंसारी, पे0–रहमान अंसारी, सा0–गोराडीह, अंचल–बोआरीजोर, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने वन प्रमंडल पदाधिकारी, गोड्डा वन प्रमंडल, गोड्डा के अधिहरण वाद सं0–11/2014 (सरकार बनाम् अंसुर अंसारी एवं अन्य) के आदेश दिनांक–08.03.2016 के विरूद्ध अपील आवेदन दायर किया है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के अधिहरण वाद सं0–11/2014 के आदेश दिनांक–08.03.2014 के द्वारा ट्रेक्टर सं0–JH17C/4680 एवं टेलर बिना नम्बर 100 घन फीट पत्थर के साथ अधिहरित किया गया है। साथ ही उसके साथ जप्त मोबाईल (सीम सं0–9955883063) नोकिया को जप्त किया गया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान का कथन है कि अपीलकर्त्ता सं0 1 अधिहरित ट्रेक्टर एवं टेलर के पंजीकृत मालिक है तथा अपीलकर्त्ता सं0 2 जप्त नोकिया मोबाईल के मालिक है। वन क्षेत्र पदाधिकारी, बोआरीजोर के द्वारा यह आरोप लगाते हुए कि ट्रेक्टर सं0–JH17C/4680 एवं टेलर बिना नम्बर 100 घन फीट पत्थर का अवैध तरीका से लदा हुआ पाया गया है, इस आशय प्रतिवेदन उनके द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी, गोड्डा को समर्पित किया गया। वन प्रमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा उक्त ट्रेक्टर, टेलर एवं नोकिया मोबाईल के विरूद्ध अधिहरण वाद चलाया गया। अपीलकर्त्ता की ओर से अधिहरण वाद के ट्रायल के समय खनन चालान जिसका नं0–A17375472 दिनांक–10.06.2014 भी प्रस्तुत किया गया। वन प्रमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा अपीलकर्त्ता के द्वारा प्रस्तुत वैध चालान के सत्यता के जाँच के लिए सहायक खनन पदाधिकारी, गोड्डा को पत्र भी

निर्गत किया गया है। सहायक खनन पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा अपने पत्रांक–473 दिनांक–26.06.2014 के द्वारा चालान के सत्यता के संबंध में जाँच कर प्रतिवेदन की समर्पित किया गया है। लेकिन वन प्रमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा अपीलकर्त्ता के द्वारा प्रस्तुत चालान पर विचार किये बिना ही अवैध तरीके से उक्त ट्रेक्टर, टेलर एवं मोबाईल को जप्त किया गया है। उनका आगे कथन है कि अपीलकर्त्ता के द्वारा उक्त ट्रेक्टर एवं टेलर किराया क्रय पद्धति से क्रय किया है। जप्त ट्रेक्टर एवं टेलर वन क्षेत्र कार्यालय, महागामा के परिसर से खुले आसमान में रखा हुआ है। खुले आसमान में रखे जाने के कारण खराब होने की संभावना है। उनका आगे कथन है कि यदि जप्त ट्रेक्टर एवं टेलर को छोड़ा जाएगा तो अपीलकर्त्ता उसके लिए प्रर्याप्त प्रतिभुति बंधपत्र दाखिल करने के लिए तैयार है। अंत में उन्होंने अपील वाद स्वीकृत करने एवं जप्त ट्रेक्टर, टेलर एवं नोकिया मोबाईल को छोड़ने के लिए अनुरोध किया है।

इस संबंध में अपीलकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया सहायक खनन पदाधिकारी, गोड्डा के प्रतिवेदन एवं सरकारी वकील का मंतव्य का अवलोकन किया।

सहायक खनन पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा पत्र में उल्लेख किया गया है कि सरकार के उप सचिव खान एवं भूतत्व विभाग के पत्रांक–740/एम0 राँची दिनांक–20.04.2014 के द्वारा पट्टेधारी की कठिनाई को देखते हुए मुद्रित चालान निर्गत करने की अनुमति दी गई थी। चालान की वैधता 13.05.2014 से एक माह दिनांक–12.06.2014 तक मान्य थी। झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 में वाहन के निबंधन से संबंधित कोई शर्त या बंधेज उल्लेखित नहीं है। ऐसी स्थिति में अनिबंधित वाहन के द्वारा भी खनिज का परिवहन कराया जा सकता है। घन फुट में खनिज स्वामित्व का गणना वैध है। इस खनन पट्टा की स्वीकृति 27.02.2012 के पूर्व स्वीकृत होने के कारण खनन पट्टा के लिए पर्यावरणीय सहमति की आवश्यकता नहीं है। झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 के अनुसार खनन कार्य में मेनुअल अथवा मशीन के द्वारा खनन कार्य किया जा सकता है। पट्टेधारी द्वारी बिक्रीकर विभाग का टीन संख्या–20172506158 है।

विज्ञ सरकारी वकील का मंतव्य है कि ट्रेक्टर सं0–JH17C/4680 एवं टेलर बिना निबंधन सं0 पर लगभग 100 सी0एफ0टी0

पत्थर लोड को वनरक्षी द्वारा पकड़ा गया था एवं ट्रेक्टर, टेलर को वन विभाग के पदाधिकारी द्वारा जप्त किया गया था। वन विभाग द्वारा खनन पदाधिकारी, गोड्डा के पत्रांक–473/एम0 दिनांक–26.06.2014 द्वारा चालान सं0–A17375472 दिनांक–10.06.2014 का सत्यापन के लिए भेजा गया था। जिसकी वैधता को जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा सही बताया गया है। जप्त ट्रेक्टर एव टेलर का मालिक शाहबान अंसारी, पिता–अब्दुल कलाम अंसारी, सा0–रामकोल, पो0–कमलदौरी, थाना–बोआरीजोर जिला– गोड्डा है। उनका आगे मंतव्य है कि आवेदक द्वारा उचित प्रतिभूति दाखिल करने के पश्चात जप्त ट्रेक्टर सं0–JH17C/4680 एवं टेलर को मुक्त किया जा सकता है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख से स्पष्ट होता है कि ट्रेक्टर सं0–JH17C/4680 एवं बिना नम्बर का टेलर को अधिसूचित वन क्षेत्र छोटा शहरपुर से पत्थरों के अवैध खनन एवं परिवहन में संलिप्त पाये जाने के कारण निम्न न्यायालय के द्वारा अधिहरित किया गया है तथा जप्त मोबाईल (सीम सं0–9955883063) नोकिया कम्पनी को जप्त किया गया है। लेकिन सहायक खनन पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि चालान संख्या–A17375472 दिनांक–10.06.2014 के सत्यापन जाँच किया गया है एवं उसके वैधता को सही पाया गया है। विज्ञ सरकारी वकील का भी मंतव्य है कि अपीलकर्त्ता द्वारा उचित प्रतिभूमि दाखिल करने पर जप्त ट्रेक्टर सं0–JH17C/4680 एवं टेलर को मुक्त किया जा सकता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में वन प्रमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के अधिहरण वाद सं0–11/2014 में दिनांक–08.03.2016 के आदेश को निरस्त करते हुए अपीलकर्त्ता के द्वारा 50000.00(पचास हजार) रू0 बंधपत्र दाखिल करने पर जप्त ट्रेक्टर सं0–JH17C/4680 साथ में टेलर एवं नोकिया मोबाईल (सीम सं0–9955883063) को मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित को भेजें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

20/05/17

20/05/17

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.22 14:44:25 +05:30
Location: 192.168.29.8

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।